चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा / डी०आर० / १३५५ ४

दिनांक । 10.01.2024

विज्ञप्ति

वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। परीक्षा केन्द्रों पर छात्र अनुशासन में रहें, यह परीक्षा के सुचारू एवं शुचितापूर्ण संचालन के लिए अति आवश्यक है। ऐसे परीक्षार्थी जो अनुशासनहीनता में लिप्त हैं, के विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार/अन्य अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में पत्र संख्या : परीक्षा/7573, दिनांक 11.02.2023 निर्गत किया जा चुका है। उक्त पत्र की प्रति समस्त परीक्षा केन्द्रों के सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

पॅरीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।

02. समस्त वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

04. विश्वविद्यालय अधिकृत एंजेसी, मैंo आईoटीoआईo को इस आशय के साथ प्रैषित कि उक्त पत्र समस्त महाविद्यालयों के ई-मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करे।

05. प्रभारी-विश्वविद्यालय वेबसाईट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (परीक्षा)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा / 75 73 दिनांक :11-2-2-3

अधिसूचना

कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दौरान कुछ परीक्षार्थियों द्वारा अराजक व्यवहार एवं परीक्षा व्यवस्था में लगे शिक्षकों / अधिकारियों से अमद्रता की जा रही है। यह अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है।

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ परीक्षा अध्यादेशों का पैरा-13 निम्नवत है :-

During an examination, a candidate shall be under the disciplinary control of the Superintendent of the Centre and he shall obey his instructions. In the event of a candidate disobeying the instruction of the Superintendent or for insolent behaviour toward the Superintendent or any of the Invigilators or misbehaviour towards any of the examinees, he may be excluded from the day's examination, and if he persists in misbehaviour, he may be excluded from the rest of the examination by the superintendent of the Centre.

Provided that in all such cases a full report of each case shall be sent to the University and the Executive Council may, according to the gravity of the offence, further punish a candidate by cancelling his examination and/or debarring him from appearing at the examination of the

University for one or more semesters.

इसके अतिरिक्त THE UTTAR PRADESH UNIVERSITIES (PROVISIONS REGARDING CONDUCT OF EXAMINATIONS) ACT, 1965 [U.P. ACT No. XXIV OF 1965] में परीक्षा ड्यूटी में कार्यरत शिक्षकों को निम्न सुरक्षा उपाय प्रदत्त किये गये है।

03. Every Superintendent of a Centre and every Invigilator shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code during the course of an examination or examinations conducted by the University and for a period of one month prior to the commencement of and of [six months] immediately following such examination or examinations.

04. An assault on, or use of criminal force to a Superintendent of a Centre or an invigilator during the period mentioned in section 3 shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public functions, punishable under section 186 of the Indian Penal Code, and shall, not with standing anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, be a cognizable offence.

उपर्युक्त अध्यादेश/अधिनियम के आलोक में समस्त वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षकों से अनुरोध है कि परीक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली अनुशासनहीनता/अभद्रता को गम्भीरता से लेते हुए अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें तथा नियमानुसार विस्तृत आख्या विश्वविद्यालय को

प्रेषित करें ताकि विश्वविद्यालय द्वारा भी ऐसे मामलों पर कार्यवाही की जा सके।

परीक्षा नियंत्रक । नियंत्रक

प्रतिलिपि :--

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

02. समस्त महाविद्यालय प्राचार्य / विष्ठ केन्द्र अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समन्वयक, विश्वविद्यालय उड़ाका दल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक